


समस्त माननीय सदस्य महोदय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट  
रीवा जिला रीवा ५२०१०५ ।

535  
5-9-14



Rs. 20/-

R-3297-1114

- 1- केरन सिंह तनय स्व० श्री सुब्रह्म सिंह
- 2- देवनाथ सिंह तनय स्व० श्री सुब्रह्म सिंह
- 3- ओपेलात सिंह तनय स्व० श्री सुब्रह्म सिंह

----- सभी निवासी ग्राम सोनौरा तहसील रामपुर बांधान.

जिला सतना ५२०१०५ के

----- जनावेदक गण ।

पि. जे. के. सि. ए.  
आज दिनांक 05-9-14  
स्तुत किया गया।

सीडर

बनाम

सर्किट कोर्ट रीवा-1- रामकृती पुत्री स्व० श्री लक्ष्मीनाथ सिंह

क्रमांक 3065  
रजिस्टर्ड नेट द्वारा आज  
दिनांक 05-9-14 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ  
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

- 2- रामीनरंजन पिता स्व० श्री श्याम
- 3- रघुनाथ पिता स्व० श्री इन्द्रपाल
- 4- रामदुलारी पुत्री स्व० श्री भावानदीन
- 5- रामप्यारी पुत्री स्व० श्री भावानदीन

----- सभी निवासी ग्राम सोनौरा तहसील रामपुर बांधान

जिला सतना ५२०१०५ के

----- जनावेदक गण ।

पुनरीक्षण याचिका विरुद्ध आदेश श्रीमान् अनु-  
विभागीय अधिकारी महोदय तहसील रामपुर -  
बांधान जिला सतना ५२०१०५ के जी.एस. प्र० प्र०  
197/अपील/11-12 से जारी आदेश दिनांक-  
11-7-14 .

पुनरीक्षण याचिका अस्तर्गति धारा 50 म० प्र० मू०  
राजस्व सीधता ।

मान्यवर,

पुनरीक्षण याचिका के आधार निम्नलिखित है :-

- 1- यहिक आदेश अदातत मातहत विधि प्रक्रिया व सहायत के अभाव होने से काबिल निरस्तगी है ।

M


प्र०---

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक: R.3297/11.14... जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-10-15	<p>प्रकरण में आवेक आभं (उप०) आवेक आभं द्वारा सुनवाई के लिए निवेदन किया गया कि प्रकरण में अपील की जाया जाए (की) निगली गम्हरी के लिए वापिस लेने के निवेदन के साथ इस आवेक को निगली में व्यतीत हुई है को माफ करने के निवेदन किया गया। प्रकरण निवेदन पर आदेशार्थ।</p>	<p>Mr. S. [Signature]</p>
1.12.15	<p>आवेक अधिवक्ता द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर निवेदन किया कि अधिनस्थ-यायालय के आदेश दिनांक 11-7-14 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाया थी किन्तु भूल से निगली मान-राजस्व मण्डल में प्रस्तुत का दी गई थी, निगली में व्यतीत आवेक को माफ करने के निवेदन के साथ निगली वापिस लेने का अनुरोध किया गया।</p> <p>प्रकरण में विचारीपरत आवेक अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार करते हुए निगली प्रस्तुत दिनांक-05-9-14 से निगली वापिस दिनांक-1-2-15 तक की आवेक को अपील प्रस्तुत करने हेतु छूट दिए जाने के</p>	<p>[Signature]</p>

स्थान तथा दिनांक	केस कार्यवाही तथा आदेश रामकली	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>दिये जाने के आदेश दिए जाते हैं। अतः उपरोक्त निर्देशों के साथ यह सिगएसी प्रकटा समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">             सदस्य 1.12.15         </p>	